

17/2011

सेवा में

वापसी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

17.5.24

पकीस पादीगवा उपखिप्रत / परिवारी कौच
 02 व 3 के पकीस उपखिप्रत / पकीस
 पादीगवा की मोर से पैली की कोट्टे
 खिप्रत नहीं है, या खिप्रत को
 मिया है। परिवारी कौच द्वारा इस पर
 कोट्टे खिप्रत नहीं किया गया। शारी कौच
 पादीगवा पैली की खिप्रत नहीं होने के
 कारण पैली नहीं बना सकते हैं। पादीगवा
 को आपात्म्य कायम में खिप्रत मिलावाइ गयी
 कायम उपखिप्रत नहीं होने के कारण
 पादीगवा का वाद-शुकी खिप्रत पर
 शारीयत किया जाता है।
 यत्रायमी कोट्टे खिप्रत को
 दाखिल करवाए है।

उपखिप्रत
 कोट्टे
 17/5/24


 सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

